...लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

कार्यालय

श्रीराम — बनाम — नानूराम

मुकदमा — दावा — मु. नं. 37/2021 — वर्ष 2021

आज्ञा - पत्र

12/06/23 पत्रावली पेश। वकील वादी अश्वनी वादी ने प्रतिवादी विभाजन प्रस्ताव दावा किसी भी ओर पक्ष से समझौता नहीं। बाद वादी द्वारा प्रतिवादी विभाजन प्रस्ताव दि. 7/12/22 तथा मु.नं. 2022/6588 तहसीलदार सीकर के समक्ष किसी समझौता हो विभाजन प्रस्ताव अन्तिम निर्णय का माना रहेगा। प्रतिवादी विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड के अनुसार है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती है। निर्णय लेखे से कर दो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लेखे — न्यायालय में सुनाया गया।